भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 07 / 23 / 2015 / एफ.सी. /392

दिनॉकः 24/7/15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : पीलभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आगाम परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी0 68 / 14–15 पर डाइवर्जन के साथ पुल सख्या– 84 का आरक्षित वन भूमि निर्माण हेतु

सन्दर्भ : राज्य सरकार के ऑनलाईन आवेदन प्रस्ताव संख्या– एफ पी / रेल / 7218 / 2014

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन का संदर्भ लेते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियॉ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. पार्ट– I, ई प्रस्तावित योजना से मिलने वाले रोजगार को शून्य दर्शाया गया है जबकि प्रस्ताव की वित्तीय राशि 927.01 करोड़ दर्शायी गयी है। इस विसंगति को दूर करें।
2. पार्ट– II, 13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजनानुसार लागत धनराशि का मिलान संलग्न योजना के साथ नही हो पा रहा है।
3. प्रत्यावर्तित वन भूमि का भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें सभी अक्षांश एवं देशान्तर के साथ बिन्दुओं को .shp file/kml file में दर्शाया गया हो। ऑनलाईन प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये मानचित्र में प्रस्तावित रेलवे ट्रैक के कुछ बिन्दुओं मात्र को ही दर्शाया गया है। पूरा alignment दर्शाया होना चाहिए।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि की वैधानिक स्थिति सारिणी में कम संख्या–13 के भाग–2 में नही दर्शायी गयी है।
5. प्रस्तुत स्थल निरिक्षण आख्या में संबंधित वन प्रभाग प्रभारी का नाम, मोहर एवं दिनांक नही दर्शाया गया है।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें सभी अक्षांश एवं देशान्तर के साथ बिन्दुओं को .shp file/kml file में दर्शाया गया हो।
7. प्रस्तावित स्थल का Linear diagrammatic map प्रस्ताव में संलग्न नही किया गया है।
8. वन भूमि के न्यूनतम प्रयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
9. क्षतिपूरक वृक्षोराण एवं एन0पी0वी0 की लागत धनरशि की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्न नही की गयी है।
10. यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा किये जाने के वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्न नही की गयी है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

24/7/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव (वन), वन अनुभाग, बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
3. अतिरिक्त महाप्रबन्धक (परियोजना), रेल विकास निगम लि0, प्रथम तल, पर्यटन भवन, सी–13, विपीन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
4. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली ।

24/7/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}